न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 320 / 2025

प्रार्थीः—

छतरसिंह पुत्र डुंगरसिह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. अर्जुनसिंह पुत्र समदरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. अशोक पुत्र बगतदान जाति चारण निवासी उजला जिला जैसलमेर
4. उषब कंवर पत्नी धनसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
5. किशना कंवर पुत्री लखसिह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
6. चन्दनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
7. चेलसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
8. धनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
9. नाथूसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
10. नीम्बसिंह पुत्र समंदरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
11. पूरण कंवर पुत्री लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
12. प्रियंका कंवर पुत्री लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
13. बलदेवसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
14. बाबूसिंह पुत्र समंदरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
15. भंवरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
16. मदनसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
17. मंशुसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
18. मीठूकंवर पुत्री लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
19. विशनाराम पुत्र अमराराम जाति घांची निवासी मोकलसर
20. सुखा कंवर पुत्री लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
21. सपत कंवर पुत्री लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
22. हरिसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
23. हसंकंवर पत्नी समदरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर
24. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर
25. बैक मैनेजर बालोतरा सहाकरी भूमि विकास बैंक सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री गणपतसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :—08.01.2026

यह आवेदन प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खुदकाश्त की भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में पुराना खसरा संख्या 58 रकबा 0.1457 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है, प्रार्थी के मूल खसरा संख्या 2176/66 का प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 23 के मध्य विभाजन करते समय मूल संख्या 2176/66 मे से विभाजन खसरा संख्या 58 प्रार्थी को खातेदारी में दी गई, प्रार्थी के खसरा संख्या 58 का नक्शा तरमीम करते समय प्रार्थी के कब्जा काश्त के स्थान में खेत के स्थान से अन्य जगह पर नक्शा तरमीम कर दी है जो प्रार्थी के खसरो की भौतिक स्थिति से विपरित है तथा प्रार्थी का वास्तविक खसरा जो कि खसरा संख्या 2176/66 की उत्तर पूर्वी दिशा में शामिल करना था लेकिन प्रार्थी के उक्त खसरे 58 को नये नक्शो में अलग स्थान पर दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थी का उक्त खसरा संख्या 2176/66 की उत्तरी–पुर्वी दिशा में काबिज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा खसरा गलत तरमीम कर दी गई तथा खसरे के स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है जबकि मौके की स्थिति भिन्न है इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत नक्शा की तरमीम कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोकलसर के नामान्तरकरण संख्या 3142 द्वारा खसरा संख्या 2234/640 रकबा 0.02914 हैक्टेयर से खसरा संख्या 2725/2234, 2726/2234 ,2727/2234 रकबा क्रमशः 0.0729, 0.0728, 0.1457 हैक्टेयर बने, तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के पश्चात खसरा संख्या 2725/2234, 2726/2234 ,2727/2234 के नये खसरा संख्या 5[illegible] बने ग्राम मोकलसर के खसरा संख्या 58,59 व 60 का वर्तमान नक्शा व [illegible] तरमीम में भिन्नता है, जिसे तहसीलदार सिवाना की मौका [illegible] अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के नवीन खसरा संख्या 58, 59 व 60 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ठ "ब" अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ठ "ब" इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'ब'

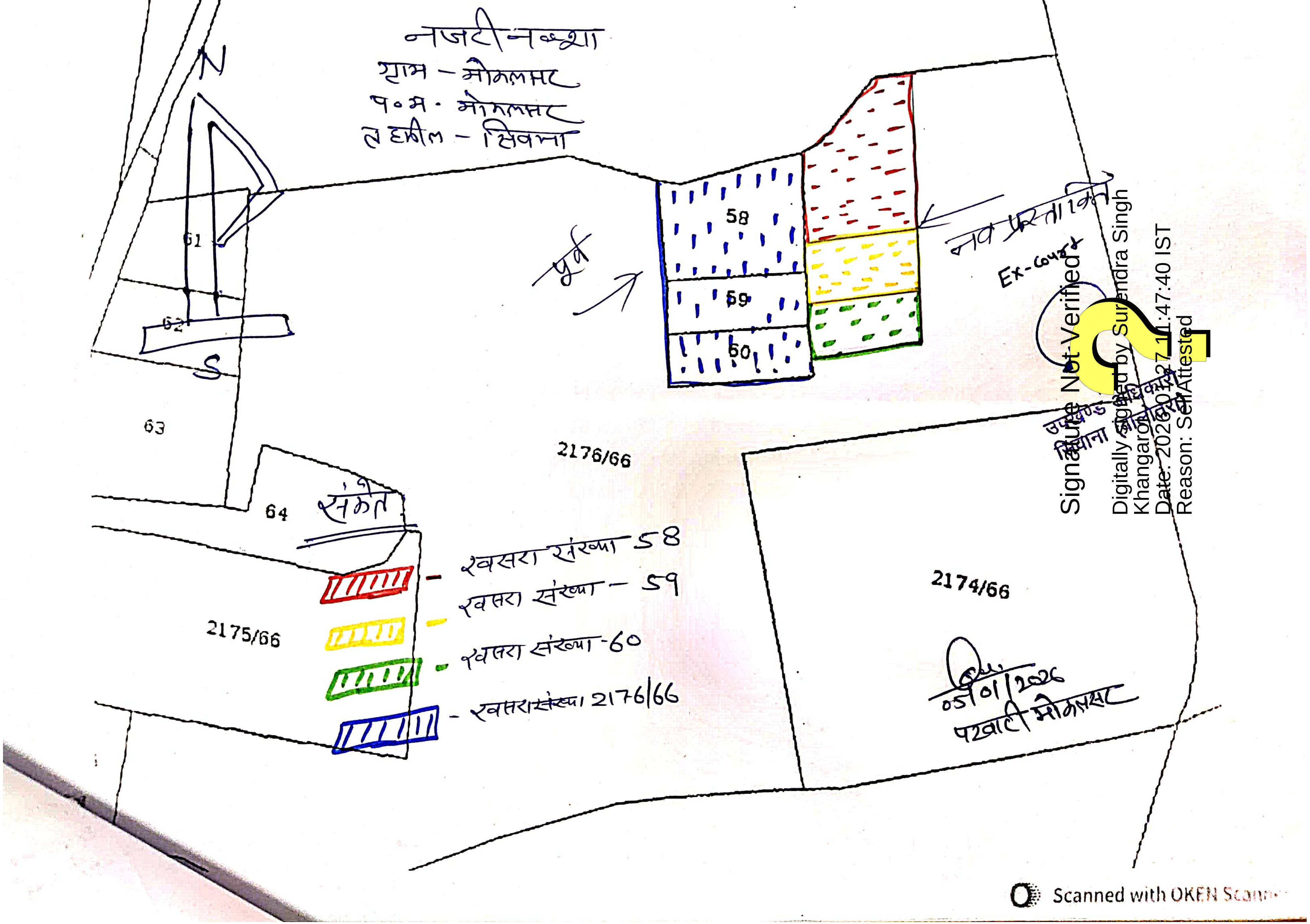

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner